भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय
....
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या-3410
दिनांक 20 मार्च, 2025 को उत्तरार्थ

सकल तकनीकी और वाणिज्यिक हानियां

3410. डॉ. इन्द्रा हांग सुब्बा:

क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) पुनर्गठित वितरण क्षेत्र योजना (आरडीएसएस) के अंतर्गत उपयोग किये गये कुल परिव्यय के प्रतिशत का ब्यौरा क्या है ;

(ख) क्या इस योजना के अंतर्गत सकल तकनीकी और वाणिज्यिक हानियों (एटी एण्ड सी) को घटा कर 12-15 प्रतिशत के अखिल भारतीय स्तर तक लाने के लक्ष्य को प्राप्त कर लिया गया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

विद्युत राज्य मंत्री
(श्री श्रीपाद नाईक)

(क) : भारत सरकार ने जुलाई 2021 में संशोधित वितरण क्षेत्र स्कीम (आरडीएसएस) शुरू की, ताकि वित्तीय रूप से स्थिर और प्रचालनात्मक रूप से दक्ष वितरण क्षेत्र के माध्यम से उपभोक्ताओं को विद्युत आपूर्ति की गुणवत्ता और विश्वसनीयता में सुधार करने के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के प्रयासों को पूरक बनाया जा सके। इस स्कीम का उद्देश्य कुल तकनीकी और वाणिज्यिक (एटीएंडसी) हानियों को 12-15% के अखिल भारतीय स्तर तक कम करना और आपूर्ति की औसत लागत और औसत प्राप्त राजस्व (एसीएस-एआरआर) अंतर को शून्य करना है।

इस स्कीम के लिए 3,03,758 करोड़ रुपये का परिव्यय है और वित्त वर्ष 2021-22 से वित्त वर्ष 2025-26 तक पांच वर्षों की अवधि के लिए भारत सरकार से 97,631 करोड़ रुपये की सकल बजटीय सहायता (जीबीएस) दी जाएगी। अब तक, इस स्कीम के तहत 2.79 लाख करोड़ रुपये (~92%) की परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है और 26,312 करोड़ रुपये (27%) का जीबीएस जारी किया गया है।

(ख) और (ग) : केंद्र और राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकार के सामूहिक प्रयास के परिणामस्वरूप, अखिल भारतीय स्तर पर समग्र तकनीकी और वाणिज्यिक (एटीएंडसी) हानियां वित्त वर्ष 21 में 21.9% से घटकर वित्त वर्ष 24 में 16.28% हो गए है। राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र ब्यौरा **अनुबंध** पर दिया गया है।

हानि में यह कमी आरडीएसएस सहित अनेक सुधारों और उपायों का परिणाम है, जो इस प्रकार हैं:

i. यदि वितरण यूटिलिटी निष्पादन सुधार उपायों को लागू करती है तो राज्य को सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) के 0.5% के बराबर अतिरिक्त उधार लेने की अनुमति दी जाती है।

ii. निर्धारित मापदंडों के निमित्त विद्युत वितरण यूटिलिटी निष्पादन के मूल्यांकन के आधार पर राज्य के स्वामित्व वाली विद्युत यूटिलिटी को ऋण संस्वीकृत करने के लिए अतिरिक्त विवेकपूर्ण मानदंड।

iii. ईंधन और विद्युत क्रय लागत समायोजन (एफपीपीसीए) तथा लागत प्रतिबिंबित टैरिफ के कार्यान्वयन के लिए नियम अधिसूचित किए गए हैं, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि विद्युत की आपूर्ति के लिए सभी विवेकपूर्ण लागतें पूरी हो जाती हैं।

iv. उचित सब्सिडी लेखांकन और उसके समय पर भुगतान के लिए नियम और मानक संचालन प्रक्रिया जारी की गई।

v. स्वचालित ऊर्जा लेखांकन और लेखा परीक्षा को अनिवार्य बनाना।

लो.सं.अतारां.प्र.सं. 3410

अनुबंध

राज्य-वार एटीएंडसी हानि (%)

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	वित्त वर्ष 2020-21	वित्त वर्ष 2021-22	वित्त वर्ष 2022-23	वित्त वर्ष 2023-24
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	8.89	19.80	19.77	20.76
आंध्र प्रदेश	20.42	10.56	7.74	12.05
अरुणाचल प्रदेश	51.82	47.83	51.70	50.42
असम	18.73	16.95	16.22	14.03
बिहार	34.40	33.94	23.45	20.32
चंडीगढ़	13.81	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं
छत्तीसगढ़	18.05	18.13	16.14	15.88
दिल्ली (एनडीएमसी)	24.83	8.33	10.67	23.34
गोवा	12.89	12.79	17.09	8.30
गुजरात	11.56	9.70	10.67	9.12
हरियाणा	17.46	14.06	12.01	11.30
हिमाचल प्रदेश	14.02	12.90	10.57	10.98
जम्मू एवं कश्मीर	59.28	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं
झारखंड	43.09	30.85	27.46	31.17
कर्नाटक	15.97	11.51	14.19	12.01
केरल	7.83	8.08	6.87	8.82
लद्दाख		48.29	38.61	42.46
लक्षद्वीप	11.63	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं
मध्य प्रदेश	41.72	21.36	20.45	23.28
महाराष्ट्र	27.68	15.21	16.97	23.85
मणिपुर	24.56	24.28	13.82	13.41
मेघालय	23.37	29.75	17.75	17.51
मिजोरम	29.05	36.45	26.53	39.19
नागालैंड	47.08	43.26	47.28	47.11
पुदुचेरी	20.12	14.20	21.83	17.75
पंजाब	18.54	11.67	11.26	10.96
राजस्थान	26.18	17.49	15.44	22.08
सिक्किम	98.35	30.77	36.10	54.60
तमिलनाडु	11.78	11.44	10.31	12.92
तेलंगाना	13.33	10.65	18.65	19.17
त्रिपुरा	37.36	24.97	24.91	24.22
उत्तर प्रदेश	27.11	31.10	22.18	16.39
उत्तराखंड	15.39	14.15	15.34	14.65
पश्चिम बंगाल	21.34	16.67	17.32	17.11
निजी क्षेत्र	13.86	13.51	10.76	12.12
कुल योग	**21.90**	**16.18**	**15.07**	**16.28**

****